

रायपुर, दिनांक 2 जून 2017

क्रमांक 77/छ.ग.रा.वि.नि.आ./2016.— विद्युत अधिनियम, 2003 (वर्ष 2003 का क. 36) की धारा 61, 86 एवं 181 एवं इस हेतु प्राप्त अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने छ.ग.रा.वि.नि.आ. (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) विनियम 2013 को बनाया था। छ.ग.रा.वि.नि.आ. सौर छतोपरि विनियम, 2013 अथवा मूल विनियम, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा छतोपरि पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दशायें एवं शर्तों के निर्धारण हेतु बनाया गया था।

इसलिए आयोग मूल विनियम के अनुसरण में मूल विनियम में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है:

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ

1.1 इन विनियमों को छ.ग.रा.वि.नि.आ. (राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत उपार्जन हेतु दरों का निर्धारण) (प्रथम संशोधन) विनियम 2016 कहे जावेंगे।

1.2 ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2. मूल विनियमों की विनियम 2.1 के उप विनियम (झ) का नये उप विनियम से प्रतिस्थापन :

मूल विनियमों के विनियम 2.1 के उप विनियम (झ) को निम्नलिखित उप विनियम से प्रतिस्थापित किया जावे :- अर्थात्

(झ) छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. एवं भूधृत सौर ऊर्जा परियोजना अथवा परियोजना का तात्पर्य ऐसे छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. एवं भूधृत सौर ऊर्जा संयंत्र से है जिसकी क्षमता 10 कि.वा. या इससे अधिक 1 मेगावाट तक हो जिसमे यथास्थिति अन्तर्संयोजन बिन्दु तक निकासी प्रणाली सम्मिलित है।

3. मूल विनियमों के विनियम 2.1 के उप विनियम (ट) का नये उप विनियम से प्रतिस्थापन :

मूल विनियमों के विनियम 2.1 के उप विनियम (ट) को निम्नलिखित उप विनियम से प्रतिस्थापित किया जावे:- अर्थात्

(ट) सौर मीटर या एस. एम. से अभिप्रेत है, कोई मीटर या जिसे छतोपरि (रूफटाफ) पी.व्ही. और अन्य भूधृत सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत के लेखांकन हेतु उपयोग किया जाता है।

4. मूल विनियमों के विनियम 4 के उप विनियम 1 (ग) (i) का नये उप विनियम से प्रतिस्थापन :
मूल विनियमों के विनियम 4 के उप विनियम 1 (ग) (i) को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जावे:- अर्थात्

(ग) दृढ़ संयोजकता

- i अन्य तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन केवल ऐसी छतोपरि (रूफटाप) पी.व्ही. व अन्य भूधृत पी.व्ही. सौर विद्युत परियोजनाएं जो 33 के.व्ही. से नीचे के वोल्टेज स्तर की वितरण प्रणाली से संयोजित हैं, इन विनियमों के अधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए मूल दर निर्धारण करने हेतु पात्र होंगी। वोल्टेज के संदर्भ में राज्य ग्रिड से अंतर्वेशन/आहरण हेतु विहित मात्रा निम्नानुसार है:-

एस.पी.व्ही क्षमता	प्रकार	निकासी स्तर
10 के.व्ही. - 100 के.व्ही.	छतोपरि भूधृत	न्यूनतम 415 वोल्ट, 3 फेज, 50 हर्ट्स
101 के.व्ही. - 1000 के.व्ही.		न्यूनतम 11 के.व्ही., 3 फेज, 50 हर्ट्स

परंतु यदि एस.पी.व्ही. परियोजना का प्रतिष्ठापित क्षमता अनुज्ञप्तिधारी से मांग प्रभार से अधिक है, उस स्थिति में डेव्हलपर द्वारा विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार मूलभूत संरचना के विस्तार/विकास लागत को वहन किया जायेगा, जिससे कि अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत को रिक्त करने हेतु सुविधा मिले।

5. मूल विनियमों के विनियम 4 (1) (ड.) का प्रतिस्थापन
मूल विनियमों के विनियम 4 (1) (ड.) को निम्नलिखित विनियम से प्रतिस्थापित किया जावे:- अर्थात्
(ड.) संचार प्रणाली की आवश्यकता

- (i) संचार प्रणाली ग्रिड इंटरएक्टिव होना चाहिए और उसे इस योग्य होना चाहिए कि वह रियल टाइम (तत्क्षण) डाटा लॉगिंग, ईवेन्ट लॉगिंग, अधीक्षण नियंत्रण, संचालन मोड और सेट पवाइंट संपादन का समर्थन कर सकें। जिन मानदंडों का मापन किया जाना है, और उन्हें लगातार प्रदर्शित करना है उनमें सौर प्रणाली तापमान, एम्बियंट तापमान अविकिरण/आइसोलेशन, डी.सी. करंट और वोल्टेज, ग्रिड में एसी अंतःक्षेपण (प्रतिष्ठापन के समय एकबारगी मापन), इन्वर्टर की दक्षता, सौर प्रणाली दक्षता, परिपक्व प्रथाओं पर आधारित पी. व्ही. सौर प्रणाली के प्रदायकर्ता द्वारा आवश्यक समझे गए कोई अन्य मानदंड सम्मिलित है। डाटा लॉगर प्रणाली को विभिन्न पर्यावरणीय और ग्रिड मानदंडों के सौर प्रणाली द्वारा उत्पादित विद्युत पर प्रभाव के अध्ययन हेतु इन मानदंडों को अभिलिखित करना चाहिए और बार चार्टों, कर्वों, तालिकाओं के माध्यम से विभिन्न विश्लेषण उपलब्ध करना आवश्यक होगा, जिन्हें रेखांकनों (ड्राईंग्स) के अनुमोदन के दौरान ही अंतिम रूप देना होगा।
- (ii) संचार अंतर्फलक, इन्वर्टर का अविभाज्य भाग होगा और स्थानीय कम्प्यूटर एवं वेब के माध्यम से या तो मानक मोडेम या जीएसएम/वाई-फाई मोडेम का उपयोग करते हुए रिमोट से संयोजित करने योग्य होगा।

No. 77/CSERC/2016.- In exercise of powers vested under section 61, 86 read with Section 181 of the Electricity Act 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (the Commission) made Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Determination of tariff for procurement of power from Rooftop PV Solar Power Projects by distribution licensees of State) Regulations, 2013 (CSERC Solar Rooftop Regulations 2013 or the Principal Regulations) for specifying the terms and conditions of tariff for procurement of power from rooftop PV solar power projects by distribution licensees of the State.

Therefore, in pursuance of the Principal Regulations, the Commission hereby makes the following regulations to amend the Principal Regulations.

1. Short title and commencement

1.1 These Regulations may be called the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Determination of tariff for procurement of power from Rooftop PV Solar Power Projects by distribution licensees of State) (First Amendment) Regulations, 2016.

1.2 These Regulations shall come into force from date of publications in the CG Rajpatra.

2. Substitution of new sub regulation for sub regulation j) of regulation 2.1

For sub regulation j) of regulation 2.1 of the principal Regulations, the following sub regulation shall be substituted, namely:-

j) 'Rooftop PV & ground mounted Solar Power Project' or 'Project' means a Rooftop PV and other ground mounted solar power generating station, with a capacity equal to or more than 10 kW and upto 1MW, including the evacuation system up to interconnection point, as the case may be;

3. Substitution of new sub regulation for sub regulation l) of regulation 2.1

For sub regulation l) of regulation 2.1 of the principal Regulations, the following sub regulation shall be substituted, namely:-

l) 'Solar Meter or SM' means a meter for used for accounting of electricity generated by the Rooftop PV and other ground mounted Solar Power Generating Plant;

4. Substitution of Regulation 4(1)(C) (i)

For sub regulation i) of regulation 4(1)(C) of the principal Regulations, the following sub regulation shall be substituted, namely:-

(C) Grid Connectivity

(i) Subject to fulfillment of other technical requirements, Rooftop PV and other grounded PV Solar Power Projects connected to the distribution network at voltage levels 33kV and below shall alone be eligible for generic tariff determined for such projects under these Regulations

SPV Capacity	Type	Evacuation level
10 kW – 100 kW	Roof top/ ground mounted	Min 415V, 3 Phase, 50 Hz
101 kW – 1000 kW		Min 11 KV, 3 Phase, 50 Hz

Provided that if the installed capacity of the SPV project is more than the contracted load with licensee than the developer shall bear the applicable infrastructure augmentation/development charges, if any according to the provisions of prevailing Supply Code to facilitate the concern licensee for power evacuation.

5. Substitution of Regulation 4(1)(E)

For regulation 4(1)(E) of the principal Regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

(E) Communication Requirement

- (i) The communication system must be grid interactive and be able to support real time data logging, Event logging, Supervisory control, Operational modes and Set point editing. The parameters to be measured and displayed continuously include Solar system temperature, Ambient temperature, Solar irradiation/isolation, DC current and Voltages, AC injection into the grid (one time measurement at the time of installation), efficiency of the inverter, Solar system efficiency, Display of I-V curve of the solar system, any other parameter considered necessary by supplier of the solar PV system based on prudent practice. Data logger system must record these parameters for study of effect of various environmental & grid parameters on energy generated by the solar system and various analysis would be required to be provided through bar charts, curves, tables, which shall be finalized during approval of drawings.
- (ii) The communication interface shall be an integral part of inverter and shall be suitable to be connected to local computer and also remotely via the web using either a standard modem or a GSM / WiFi modem.